



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-10/2021-22

सरकार

बनाम्

ट्रक निबंधन सं०-BR51G-7766 एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक

14/12/21

सहायक सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक-3831/अप०शा० दिनांक-25.09.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। मामला पोडैयाहाट थाना काण्ड संख्या-123/2021 दिनांक-13.08.2021 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने धारा-379/411/34 भा०द०वि०, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त वाहन 1. ट्रक निबंधन सं०-BR51G-7766, 2. ट्रक निबंधन सं०-BR53G-2368, 3. ट्रक निबंधन सं०-BR11GC-5968, 4. ट्रक निबंधन सं०-BR10GB-8439, 5. ट्रक निबंधन सं०-BR10GB-7870, 6. ट्रक निबंधन सं०-BR10GB-1516, 7. ट्रक निबंधन सं०-BR10GB-5631, 8. ट्रक निबंधन सं०-BR10PB-2876, 9. ट्रक निबंधन सं०-BR10GA-9244, 10. ट्रक निबंधन सं०-BR53G-2568, 11. ट्रक निबंधन सं०-BR11S-7780, 12. ट्रक निबंधन सं०-BR11GB-8566, 13. ट्रक निबंधन सं०-BR01GG-9663, 14. ट्रक निबंधन सं०-BR21H-9668, 15. ट्रक निबंधन सं०-BR15G-7013, 16. ट्रक निबंधन सं०-BR10GA-9414, 17. ट्रक निबंधन सं०-BR11S-3828, एवं 18. ट्रक निबंधन सं०-BR50G-9387 तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त वाहन पोडैयाहाट थाना द्वारा जप्त कर थाना में रखा गया है। जप्त वाहन बैंक से ऋण प्राप्त कर खरीदा गया है। जिससे काफी क्षति हो रही है। जप्त वाहन व्यावसायिक वाहन है। उक्त वाहन स्थानीय क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। विपक्षी जप्त वाहन को मुक्त करने के लिए जमानती बंध-पत्र दाखिल करने

9/12

के लिए तैयार है। उन्होंने जप्त वाहन को मुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

सहायक सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध बालू प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है। पोड़ैयाहाट थाना काण्ड संख्या-123/2021 दिनांक-13.08.2021, भा0द0वि0 की धारा 379/411/34 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 4/54 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 तथा झारखण्ड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के तहत जप्त कर पोड़ैयाहाट थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि जप्त वाहन खुले स्थान में पड़ा रहने के कारण खराब होने की संभावना है एवं विपक्षीगण के द्वारा जप्त वाहन बैंक ऋण से लिया गया है। वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है।

अतः जप्त वाहन में से ट्रक निबंधन सं0-BR01GG-9663 को छोड़कर 1. ट्रक निबंधन सं0-BR51G-7766, 2. ट्रक निबंधन सं0-BR53G-2368, 3. ट्रक निबंधन सं0-BR11GC-5968, 4. ट्रक निबंधन सं0-BR10GB-8439, 5. ट्रक निबंधन सं0-BR10GB-7870, 6. ट्रक निबंधन सं0-BR10GB-1516, 7. ट्रक निबंधन सं0-BR10GB-5631, 8. ट्रक निबंधन सं0-BR10PB-2876, 9. ट्रक निबंधन सं0-BR10GA-9244, 10. ट्रक निबंधन सं0-BR53G-2568, 11. ट्रक निबंधन सं0-BR11S-7780, 12. ट्रक निबंधन सं0-BR11GB-8566, 13. ट्रक निबंधन सं0-BR21H-9668, 14. ट्रक निबंधन सं0-BR15G-7013, 15. ट्रक निबंधन सं0-BR10GA-9414, 16. ट्रक निबंधन सं0-BR11S-3828, एवं 17. ट्रक निबंधन सं0-BR50G-9387 को निम्नलिखित शर्तों एवं दो-दो लाख रू0 का जमानत बंध-पत्र तथा एक-एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है:-

1. उक्त वाहन की प्रकृति वो पहचान बिना न्यायालय के आदेश का बदल नहीं सकेंगे।



2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
4. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं० अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षीगण अपने-अपने वाहन के संबंध में उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं दो-दो लाख रु० का जमानत बंध-पत्र तथा एक-एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात दाखिल करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
गोड्डा।


उपायुक्त,
गोड्डा।

(K)
27/12/21

Scn
S. S. S.
27/12/21

27/12/21

अधिहरण वाद संख्या-10/2021-22

सरकार

बनाम्

ट्रक निबन्धन सं0-BR51G-7766 एवं अन्य

अभिलेख उपस्थापित किया।

विपक्षीगण की ओर से निम्नांकित जप्त वाहन को विमुक्त करने के लिए उसके सामने अंकित वाहन को दो-दो लाख रू0 का जमानत बंध-पत्र के रूप में रखा गया है एवं वाहन का मूल कागजात दाखिल किया गया है :-

विमुक्त हेतु वाहन

जमानत बंध-पत्र के रूप में
रखा गया वाहन

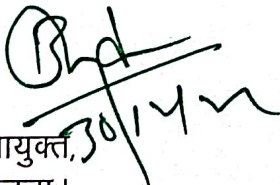
2. ट्रक निबन्धन सं0- BR53G-2368	-	BR53G-3268
10. ट्रक निबन्धन सं0-BR53G-2568	-	BR53G-3213
11. ट्रक निबन्धन सं0-BR11S-7780	-	BR11GB-5488
12. ट्रक निबन्धन सं0-BR11GB-8566	-	BR11GB-9386
13. ट्रक निबन्धन सं0-BR21H-9668	-	BR50G-8768
14. ट्रक निबन्धन सं0-BR51G-7013	-	BR51G-9705
16. ट्रक निबन्धन सं0-BR11S-3828	-	BR11GB-9010

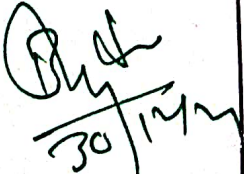
साथ ही दिनांक-14.12.2021 के पारित आदेश में अंकित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक-एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात दाखिल किया है।

अतः दो-दो लाख रू0 का जमानत बंध-पत्र, दिनांक-14.12.2021 के आदेश में अंकित शर्तों एवं एक-एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन को उचित पहचान पर विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

विमुक्ति हेतु आदेश की प्रतिलिपि संबंधित को निर्गत करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
गोड्डा।


उपायुक्त,
गोड्डा।